स्वीकार किया जाता है, प्रति क्र० 5 मांगीबाई के नाम के आगे लाल स्याही से Delete अंकित किया जावे। वकील वादी ने प्रति क्र० 2, 3, 4 व 7 की RD की रसीद तथा Delivery Status Report पेश की। प्रति क्र० 2, 3, 4 व 7 बावजूद तामील उप. नहीं है, अतः प्रति क्र० 2, 3, 4 व 7 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है। पत्रावली वास्ते जवाब प्रति क्र० 1, वकालतनामा एकतरफा प्रति क्र० 6 दि. 19.3.21 को पेश हो।

3/21 पत्रावली पेश। वकील वादी उप.। प्रति क्र० 1 की ओर से श्री [illegible] ने वकालतनामा मय जवाब दावा इकबाली पेश किया। प्रति क्र० 6 की ओर से वकालतनामा पेश नहीं किया गया है अतः प्रतिवादी क्र० 6 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है। वकील प्रति क्र० 1 ने जवाब दावा इकबाली प्रस्तुत कर दावा जारी डिक्री करने में सहमति व्यक्त की। — For ICICI Bank Defendant No-6 [illegible]

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड, दस्तावेज, पक्षकारों के अभिवचनों का सूक्ष्मतम अवलोकन करने के बाद खसरा नं 301 की 0.31 हे० आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित

निर्णय इजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड-अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 191/2018

तारीख दायरा 14.06.2018

उनवान

जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामनारायण जाति मेघवाल निवासी ग्राम अतरालिया तहसील सांगोद जिला कोटा।

—वादी

बनाम

1. सज्जनबाई पुत्री श्री देवा जाति चमार निवासी ग्राम अतरालिया,
2. सत्यनारायण पुत्र श्री प्रहलाद जाति चमार निवासी ग्राम अतरालिया,
3. मोतीलाल पुत्र श्री गोपाल जाति चमार निवासी ग्राम अतरालिया
4. मन्जूबाई पुत्री श्री गोपाल जाति चमार निवासी ग्राम अतरालिया,
5. मांगीबाई बेवा श्री गोपाल जाति चमार निवासी अतरालिया तहसील सांगोद जिला कोटा,
6. मेनेजर आई.सी.आई. बैंक शाखा अन्ता जिला बारां,
7. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सांगोद तहसील सांगोद जि.कोटा।

—प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी. एक्ट 1955

उपस्थित :—

श्री दिनेश कुमार गौतम (वकील वादी)

दिनांक :— 19.03.2021

श्री जयवर्द्धन गौतम (वकील प्रतिवादी)

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

--निर्णय--

वादी ने इस न्यायालय में एक वाद इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि खसरा नंबर 186 रकबा 1.85 हैक्टर, खसरा नंबर 301 रकबा 0.51 हैक्टर कुल किता 2 की कुल 2.36 हैक्टर आराजी माल ग्राम अतरालिया तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित है जो वर्तमान नकल जमाबन्दी संवत् 2070–7 खतोनी संख्या 51 में प्रतिवादी कं. 1 लगायत 5 के नाम दर्ज रिकार्ड है। वादग्रस्त आराजी में से खसरा नंबर 301 रकबा 0.51 हैक्टर सम्पूर्ण आराजी प्रतिवादी कं. 1 के पिता ने पुत्र गणेश, प्रतिवादी कं. 2 के पिता प्रहलाद पुत्र गोपाल एवं प्रतिवादी कं. 3, 4, 5 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 25.06.2009 से वादी को विकय कर कब्जा आराजी मौके पर समला दिया था जो आज भी बदस्तूर है। उक्त विक्रय विलेख की प्रतिलिपि वादी द्वारा पटवारी हलका को वास्ते खोलने इन्तकाल सुपुर्द कर दी थी तथा पटवारी हलका द्वारा वादी को बताया दिया गया था कि मुताबिक विकय विलेख राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज कर दिये गये हैं किन्तु गत सप्ताह प्रार्थी पटवारी हलका के पास लगानराज अदा करने के लिए गया तो पटवारी हलका द्वारा बताया कि राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष का लगान माफ कर दिया है किन्तु वादी का नाम खाते में अंकित नहीं होना बताया जिसके बाद वादी ने पटवारी हलका को रजिस्टर्ड बैनामा दिया तो उन्होने कहा कि विक्रेता देवा व प्रहलाद का फौती इन्तकाल खुलने से उसके वारिस प्रतिवादी कं. 1, 2 का नाम खाते में दर्ज हो चुका है तथा प्रतिवादी कं. 1 द्वारा स्वयं के नाम दर्ज हिस्सा आराजी पर प्रतिवादी कं. 6 से ऋण प्राप्त कर लिया है जिसके कारण विक्रय विलेख के अनुसार नामान्तरण दर्ज नहीं किया जा सकता। ऐसी परिस्थितियों में माननीय न्यायालय में यह वादपत्र बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। गत सप्ताह पटवारी हलका द्वारा विक्रेता देवा व प्रहलाद के स्थान पर प्रतिवादी कं. 1, 2 का नाम खाते में दर्ज हो जाने व प्रतिवादी कं. 1 द्वारा स्वयं के नाम दर्ज हिस्सा आराजी पर प्रतिवादी कं. 6 से ऋण प्राप्त कर लेने से मुताबिक रजिस्टर्ड विक्रय विलेख नामान्तरण दर्ज करने में असमर्थता जाहिर करने पर वादकारण उत्पन्न हुआ। राज्य सरकार भूमिधारी होने से तहसीलदार सांगोद को प्रतिवादी कं. 7 की हैसियत से वाद में पक्षकार बनाया

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद, जिला कोटा

अतः मा... ग्राम अतरालिया तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित खसरा नंबर 301 रकबा 0.51 हैक्टर सम्पूर्ण आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में वादी के खाते दर्ज की जावे तथा मात्र राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज होने के आधार पर प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 301 रकबा 0.51 हैक्टर पर रहन, बैय फरोक्त, खुर्दबुर्द, हस्तान्तरित नहीं करें। उक्त कृत्य न तो प्रतिवादी स्वयं करें, न ही अपने नौकरों, एजेन्टों अथवा अन्य व्यक्तियों से करावें।

वादपत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त प्रतिवादी कं. 1 की ओर से वकील श्री जयवर्द्धन गौतम ने उपस्थित होकर जवाबदावा इकबाली प्रस्तुत कर दावा वादी डिक्री करने में सहमति व्यक्त की। प्रतिवादी सं.1 की ओर से प्रतिवादी अधिवक्ता ने अवगत करवाया कि प्रतिवादी सं. 5 मांगीबाई की मृत्यु हो चुकी है तथा उसके उत्तराधिकारी पूर्व से ही प्रतिवादी सं. 3, 4 के रूप में रिकार्ड पर दर्ज है। शेष प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकतरफा ...ना अमल में लाई गई। पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबंदी सम्वत् 2066–69 में खसरा ... 186 रकबा 1.85 हैक्टर, खसरा नंबर 301 रकबा 0.51 हैक्टर कुल किता 2 की कुल 2.36 ...क्टर आराजी खातेदार प्रहलाद, मोतीलाल पुत्रान गोपाल, मन्जूबाई पुत्री गोपाल, मांगीबाई बेवा ...पाल हिस्सा 1/2 एवं देवा पुत्र गणेश हिस्सा 1/2 में दर्ज रिकार्ड है। चूंकि प्रतिवादी कं. 1 के पिता देवा, प्रतिवादी कं. 2 के पिता प्रहलाद व प्रतिवादी कं. 3, 4, 5 द्वारा वादग्रस्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड बैनामा कमांक 2009000363 दिनांक 25.06.2009 से वादी को विक्रय कर दी थी। उसके बाद विक्रेता देवा व प्रहलाद की मृत्यु होने से देवा के स्थान पर प्रतिवादी कं. 1 का एवं प्रहलाद के स्थान पर प्रतिवादी कं. 2 का नाम खाते में दर्ज हुआ है जिसके कारण रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 25.06.2009 का राजस्व रिकार्ड में इन्तकाल दर्ज नहीं हो सका है किन्तु जब देवा सहित सभी खातेदारों द्वारा खसरा नंबर 301 की 0.51 हैक्टर आराजी वादी को विक्रय कर दी थी तो प्रतिवादी कं. 1 को प्रतिवादी कं. 6 से उक्त भूमि पर ऋण प्राप्त करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था। चूंकि वादी वादग्रस्त भूमि का रजिस्टर्ड स्वामी है जिस पर प्रतिवादी सं. 1 को ऋण प्राप्त करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था। ऐसी सूरत में उक्त भूमि पर बाद बेचान दर्ज किया गया रहन का नोट प्रारम्भ से ही अवैध व शून्य होकर वादी के हितों के विपरीत नल

...ो परिस्थितियों में पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड, दस्तावेजों, पक्षकारों के ...नों का सूक्ष्म अवलोकन करने के बाद खसरा नंबर 301 की 0.51 हैक्टर आराजी का ... खातेदार काश्तकार घोषित करना उचित समझती हूँ तथा बैंक ऋण के मुगतान हेतु ... नोट यथावत कायम रखना उचित समझती हूँ।

अतः दावा वादी स्वीकार कर आदेश पारित किये जाते हैं कि माल ग्राम अतरालिया ...ल सांगोद जिला कोटा में स्थित खसरा नंबर 301 रकबा 0.51 हैक्टर आराजी का वादी को ...तेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। बैंक का चार्ज पृथम होने के कारण रहन भार ...वत रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार अन्तिम डिकी ... की जावे।

(अंजना सहरावत)

उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 19.03.2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)

उपखण्ड अधिकारी सांगोद